न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 48/2024 (उदयपुर डिक्री)

हेमराज पिता देवा भोई, निवासी भोईयो की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2– उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर)

रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक
गिर्वा दि. 08.05.2024 प्र.सं. 302/2019

–––/–––

उपस्थित :–1– श्री खेमराज डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री कमलेश चौहान अभिभाषक रे.सं., 1,2

–––::–––

निर्णय दिनांक 29–01–2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कमलोद डूंगर तहसील गिर्वा मे आराजी नंबर 254 रकबा 0.0500 है0 आराजी नंबर 255 रकबा 0.0900 है0 व आराजी नंबर 317/257 रकबा 0.0500 है0 कुल किता 03 रकबा 0.1900 है0 भूमि स्थित है। जिसके साबिक आराजी नंबर 1 मी. है। साबिक आराजी नंबर 1 मी. मे से रकबा 18 बिस्वा भूमि वादी को दिनांक 20.5.1974 को आवंटन सलाहकार समिति की सहमति से उप–जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा आंवटित की गई है व कब्जा वादी को सौपा गया तब से आंवटित भूमि पर वादी का लगातार कब्जा चला आ रहा है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:13 IST
Reason: SelfAttested

आवंटन की पालना मे वादी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण 106 खोला जाकर दिनांक 15–5–1997 को स्वीकृत किया गया है जिसके अन्तर्गत आंवटित भूमिके आराजी नंबर 1/116 रकबा 18 बिस्वा डाले गये है। वादी ने इस पर काफी खर्च कर आबादान की है। उक्त वादगस्त आराजीयात हाल पैमाईश मे वादी को बिना सूचना दिए सेटलमेन्ट कर्मचारी द्वारा बिना किसी अधिकार व बिना किसी आदेश व वनखण्ड कमलोदिया रेंज उदयपुर के नाम दर्ज कर दी है जो गलत है। इस गलत इन्द्राज से वादी के हक व अधिकारो पर कोई प्रभाव नही रहता है। उक्त आराजीयात वादी के हक व आधिपत्य की है। वनखण्ड कमलोदिया रेंज उदयपुर के नाम गलत दर्ज की गई है। तथा वन विभाग का कोई कब्जा भी नही है। वादी ने तहसीलदार गिर्वा को उक्त आराजियात वादी के नाम दर्ज कराने हेतु कई बार कहा लेकिन कोई जबाव नही दिया है व कानूनी कार्यवाही हेतु कहते रहे है। जिस पर वादी ने दिनांक 1–1–2009 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अपने अधिवक्ता के जरिये धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिलाया जो प्रतिवादी नंबर 1 व 2 को प्राप्त हो गया है। वाद कारण दिनांक 5–12–2008 को तब उत्पन्न हुआ, जबकि वन विभाग के कर्मचारियो ने वादी को कब्जा हटाने की धमकी दी व दिनांक 1–1–2009 को नोटिस देने के बावजूद भी प्रतिवादीगण ने उक्त आराजीयात वादी के नाम दर्ज नही की। अतः वादग्रस्त आराजीयात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा फरमावे जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दिनांक 8–05–2024 को वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील दिनांक 25–06–2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित नाम होने से अपीलान्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:13 IST
Reason: SelfAttested

को विधिवत तरीके से आंवटन सलाहकार समिति की सहमति से उप–जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा तारीख 20–5–1974 को आंवटित कर मौके पर वादी का कब्जा कराया गया है तब से विवादित भूमि पर वादी का कब्जा लगातार चला आ रहा है। इसके अलावा कथित आंवटन के तहत आंवटित भूमि का नामान्तरकरण वादी/अपीलान्ट के नाम खोला जाकर दिनांक 15–5–1977 को गैर खातेदारी हक से दर्ज करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके नामान्तरकरण नंबर 106 है। नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने पर आवंटित भूमि के आराजी नंबर 1/116 रकबा 18 बिस्वा डाले गये है। आंवटन विधिवत तरीके से नियमो की पालना करते हुए पूरी कोरम मे किया गया। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नही दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमावे जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उचित बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजीयात खसरा नंबर 254 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 255 रकबा 0.0900 है0 व खसरा नंबर 317/257 रकबा 0.500 है0 कुल किता 3 रकबा 0.1900 है0 भूमि वर्तमान मे वनखण्ड कमलोदिया रेंज के दर्ज रेकार्ड है तथा राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन के द्वारा दिनांक 03–07–1942 को यह भूमि वन विभाग के नाम दर्ज की है। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि वर्ष 1942 अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही विवादित आराजियात वन विभाग के नाम दर्ज है, किन्तु तत्समय राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं होने के कारण राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूमि बिलानाम सरकार दर्ज हो गयी, जिसका आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन अपीलान्ट/वादी के पक्ष में कर दिया गया, लेकिन पुनः भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भूमि वन विभाग के नाम दर्ज की दी गयी एवं वर्तमान में विवादित भूमि वन विभाग की सीमा में स्थित है, जिसकी खातेदार अधिकारी अपीलान्ट/वादी को दिया जाना विधि सम्मत नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जो प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:13 IST
Reason: SelfAttested

दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 08–05–2024 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 29–01–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:13 IST
Reason: SelfAttested